न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 6 / 2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सवाई सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह राजपुरोहित
   एफबीओ मैसर्सः— जोधपुर स्वीट होम, आगरा रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अभियुक्त —

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 14.2.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 15.10.2017 को दोपहर बाद 04:00 बजे मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, आगरा रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सवाईसिंह पुत्र श्री हमीर सिंह राजपुरोहित उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाइसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर चार स्टील की ट्रे में करीबन 20 किग्रा मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुई थी, में मिलावट का शक होने पर एक स्टील की ट्रे जिसमे करीबन 5 किग्रा मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) थी में से नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) खरीदी। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तोलकर दी। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि ख़रीदशुदा मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विकेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1789 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह उपर से नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सीलबंद बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.10.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2528/एक्ट/2017/2600 दिनांक 15.11.2017 डी.ओ. एवं सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गया खाद्य पदार्थ मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) में खाद्य रंग ही प्रयोग में लिया गया था, जो कि अन्य मिठाईयों में भी प्रयोग में लिया जाता है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

भविष्य में ऐसी पुनरावर्ती नही होगी। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2528/एक्ट/2017/2600 दिनांक 15.11.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री सवाई सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह राजपुरोहित एफबीओ मैसर्सः—जोधपुर स्वीट होम, आगरा रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मूंग बर्फी (मुंग, मावा व चीनी से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सवाई सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह राजपुरोहित एफबीओ मैसर्सः—जोधपुर स्वीट होम, आगरा रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 3000/— (अक्षरे तीन हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 14.2.2018 के एक माह के अन्दर—अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कमांक/ 8235-37

दिनांकः—23.2.2018

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सवाई सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह राजपुरोहित एफबीओ मैसर्सः—जोधपुर स्वीट होम, आगरा रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा